प्रारंभिक परीक्षा

RBI गवर्नर की नियुक्ति

संदर्भ

केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव **संजय मल्होत्रा** को **भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त** करने की घोषणा की।

गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है?

- **गवर्नर की नियुक्ति RBI अधिनियम, 1934 की धारा-8(1)(a) के अनुसार की जाती है।**
    - इस धारा में कहा गया है कि एक गवर्नर और अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
- **नियुक्ति प्रक्रिया**:
    1. **वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति(FSRASC) की सिफारिश:** समिति संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा करती है और नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करती है।
        - इसमें कैबिनेट सचिव, वर्तमान RBI गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और दो स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं।
    2. **अनुमोदन**: चयनित नामों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति(ACC) को सौंपा जाता है।
        - ACC अंतिम उम्मीदवार का चयन और अनुमोदन करती है।

RBI गवर्नर का कार्यकाल

- **RBI अधिनियम, 1934 की धारा-8(4)** के तहत यह निर्दिष्ट किया गया है कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का है।
- **केंद्र सरकार के पास विवेकाधिकार है कि वह:**
    - गवर्नर को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करें।
    - कार्य-निष्पादन और अन्य बातों के आधार पर कार्यकाल को नवीनीकृत या विस्तारित करें।
- **हालिया रुझान**: यद्यपि अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है, हाल के RBI गवर्नरों को आमतौर पर विस्तार की संभावना के साथ 3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।
    - **उदाहरण:**
        - **शक्तिकांत दास** को दिसंबर 2018 में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था, और 2021 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे उनका कुल कार्यकाल 6 साल हो गया।
        - **रघुराम राजन** ने 2013 से 2016 तक पूरे 3 साल का कार्यकाल पूरा किया।

स्रोत: द हिंदू: केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को RBI गवर्नर नियुक्त किया

टंगस्टन

संदर्भ

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से मदुरै जिले में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिए गए टंगस्टन खनन अधिकारों को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया गया।

टंगस्टन (या वोल्फ्राम) के बारे में -

- **प्रतीक**: W
- **परमाणु संख्या**: 74
- **स्वरूप:** एक चमकदार, चांदी जैसी सफेद धातु।
- **अयस्क**: स्कीलाइट और वोल्फ्रामाइट
- **विशिष्ट गुण**:
    - **उच्च गलनांक**: सभी धातुओं का उच्चतम गलनांक **3,422°C (6,192°F)** है।
    - **उच्च घनत्व**: **19.3 ग्राम/सेमी³** का घनत्व, सोने के बराबर।
    - **कठोरता**: बहुत कठोर, खासकर जब अन्य धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है (**मोह्स पैमाने पर 7.5 मापा गया है)।**
    - **उत्कृष्ट तापीय और विद्युत चालकता**: तापीय विस्तार के लिए उच्च प्रतिरोध।
    - **संक्षारण प्रतिरोध**: ऑक्सीकरण और अधिकांश अम्लों के लिए प्रतिरोधी।
    - **उच्च तन्य क्षमता**: उच्च तापमान पर भी क्षमता बरकरार रहती है।
    - **कम वाष्प दबाव**: उच्च तापमान पर भी आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता है।

क्या आप जानते हैं?

- **मोह्स पैमाना एक गुणात्मक पैमाना है जो 1 से 10 के पैमाने पर खनिजों के खरोंच (स्क्रैच) प्रतिरोध को मापता है।**
- **सबसे कम रैंकिंग (सबसे नरम):**
    - **टैल्क – रैंक 1**
        - टैल्क पर आसानी से खरोंच लग जाती है और यह चिकना लगता है।
        - इसका उपयोग टैल्कम पाउडर और स्नेहक के रूप में किया जाता है।
- **उच्चतम रैंकिंग (सबसे कठोर):**
    - **हीरा – रैंक 10**
        - हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है।
        - अन्य सभी खनिजों को खरोंच सकता है।
        - काटने के औजारों, अपघर्षकों और आभूषणों में इसका उपयोग किया जाता है।

टंगस्टन के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उद्योग**:
    - इसके उच्च गलनांक के कारण तापदीप्त और हैलोजन बल्बों में तंतु।
    - इसकी उच्च चालकता के कारण गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग (GTAW) में इलेक्ट्रोड।
    - इसकी ऊष्मा को सहने की क्षमता के कारण अर्धचालक और एक्स-रे ट्यूब।
- **एयरोस्पेस और रक्षा**:
    - इसकी ऊष्मा प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग उच्च गति वाले विमानों, मिसाइलों और रॉकेट इंजन नोजल में किया जाता है।

  - इसके उच्च घनत्व के कारण कवच-भेदी प्रक्षेपास्त्र और विकिरण परिरक्षण में।
- **विनिर्माण और मशीनिंग**: टंगस्टन कार्बाइड (WC), एक अविश्वसनीय रूप से कठोर यौगिक, का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है:
  - काटने के उपकरण, ड्रिल और मिलिंग उपकरण।
  - खनन उपकरण, वियर-रेजिस्टेंट भाग और अपघर्षक।
- **चिकित्सा क्षेत्र**:
  - मेडिकल इमेजिंग (एक्स-रे, सीटी स्कैन) में विकिरण परिरक्षण (Radiation shielding)।
  - सर्जिकल उपकरणों में मेडिकल इलेक्ट्रोड।
- **आभूषण**: उनके खरोंच प्रतिरोध और स्थायित्व के कारण टंगस्टन कार्बाइड के छल्ले और सहायक उपकरण।
- **ऑटोमोटिव**:
  - उच्च प्रदर्शन इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम।
  - वाहनों को संतुलित करने के लिए प्रतिभार (Counterweights)।
- **रासायनिक उद्योग**: रासायनिक प्रतिक्रियाओं और पेट्रोलियम शोधन में उत्प्रेरक।
- **खेलकूद और मनोरंजन**: इसके घनत्व और स्थायित्व के कारण मछली पकड़ने के वजन, डार्ट्स और गोल्फ़ क्लब हेड्स में।

Leading countries based on reserves of tungsten worldwide in 2023 (in metric tons)

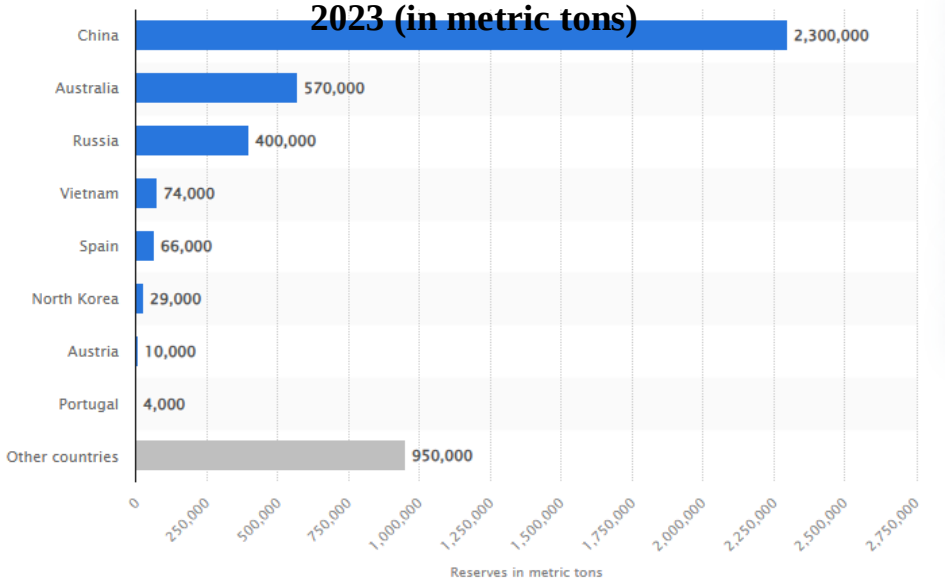

तथ्य

- **भारत में टंगस्टन का कुल भंडार 87.39 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।**
- **टंगस्टन का मुख्य भंडार डेगाना, राजस्थान में है।**
- भारत में टंगस्टन संसाधन मुख्य रूप से- कर्नाटक (42%), राजस्थान (27%), आंध्र प्रदेश (17%) और महाराष्ट्र (9%) में वितरित हैं।
- शेष 5% संसाधन- हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में हैं।
- टंगस्टन, भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है।

संघ लोक सेवा आयोग के विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिये: (2020)

1. बेंटोनाइट
2. क्रोमाइट
3. कायनाइट
4. सिलिमेनाइट

भारत में, उपर्युक्त में से कौन सा/से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 4
c) केवल 1 और 3
d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

स्रोत: द हिंदू: तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में टंगस्टन खनन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

उपराष्ट्रपति को पद से हटाना

संदर्भ

इंडिया ब्लॉक में विपक्षी दलों ने, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए एक नोटिस लाने का निर्णय किया है।

पद से हटाने की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 67(b):** यह अनुच्छेद, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **पद से हटाने का प्रस्ताव:**
  - उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, पद से हटाया जा सकता है (इस प्रकार के बहुमत को 'प्रभावी बहुमत' भी कहा जाता है)
  - राज्यसभा द्वारा पारित ऐसे प्रस्ताव पर, लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है।
- **नोटिस:** उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, वर्तमान उपराष्ट्रपति को **14** दिन पूर्व नोटिस देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।

तथ्य

- उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपकर भी अपना पद त्याग सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद प्रभावी हो जाता है।
- **अनुच्छेद 92:** सभापति या उपसभापति राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, जब उन्हें पद से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो।
  - यद्यपि, सभापति संबोधित कर सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किन्तु प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकते।
- प्रभावी बहुमत, सदन की प्रभावी शक्ति के 50% से अधिक का बहुमत होता है।

नोट:

- **राष्ट्रपति के लिए निर्धारित औपचारिक महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आवश्यक नहीं है।**
- इसके अतिरिक्त, संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कोई आधार वर्णित नहीं किया गया है।
- यह प्रक्रिया एक प्रस्ताव से प्रारंभ होती है, जिसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा (संसद का उच्च सदन) में पेश किया जाना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग के विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

1. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं।

2. जबकि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है**,** उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथन/कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं**?**

(a) केवल **1**

(b) केवल **2**

(c) 1 और **2** दोनों

(d) न तो **1** और न ही **2**

उत्तर: (**b**)

स्रोत: द हिंदू: विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए नोटिस लाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन प्रदान किया

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने **संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए** एक महिला सैन्य अधिकारी को उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड के साथ स्थायी कमीशन प्रदान किया, जिसे गलत तरीके से विचार से बाहर रखा गया था, जबकि इसी प्रकार के अन्य अधिकारियों को यह लाभ दिया गया था।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 -

- **सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त बनाना**: अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष आने वाले मामलों में **"पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश जारी करने का अधिकार देता है।**
    - ये डिक्री या आदेश सम्पूर्ण भारत में बाध्यकारी एवं लागू करने योग्य हैं।
- **कानूनी बाध्यताओं से परे जाना**: यह प्रावधान न्यायालय को न्याय प्रदान करने के लिए मौजूदा कानूनों या विधियों से परे जाने की अनुमति देता है।
    - इससे न्यायालय को ऐसी भूमिकाएं निभाने में मदद मिलती है जो आवश्यकता पड़ने पर **कार्यकारी या विधायी कार्यों के साथ ओवरलैप हो सकती हैं।**
- **संबंधित संवैधानिक प्रावधान**: अनुच्छेद 142 अन्य प्रावधानों द्वारा समर्थित है जैसे:
    - **अनुच्छेद 32**: संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है।
    - **अनुच्छेद 141**: भारत के सभी न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य करता है।
    - **अनुच्छेद 136**: विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की अनुमति देता है।
    - साथ में, ये अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता का आधार बनाते हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए कभी-कभी कानून को खत्म करने की अनुमति मिलती है।
- **जनहित मामलों में भूमिका:** अनुच्छेद 142 न्यायालय को जनहित, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और संवैधानिक मूल्यों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार देता है।
    - **संविधान के संरक्षक** के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को पुष्ट करता है तथा अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अन्य उदाहरण जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया

- **चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव को रद्द करना (2024)**: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए **चंडीगढ़ मेयर चुनाव** में **अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया।**
    - पीठासीन अधिकारी ने प्रतिद्वंद्वी के पक्ष में पड़े **आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य कर दिया**, जिसके कारण विजेता की गलत घोषणा हुई।
- **अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला (2019):** सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 को लागू करते हुए विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित किया और मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ का भूखंड देने का आदेश दिया।
- **ताजमहल संरक्षण (1996):** न्यायालय ने उद्योगों को स्थानांतरित करने और स्मारक की सुरक्षा के लिए उपाय लागू करने हेतु अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया।
- **यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1991):** सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को भोपाल गैस त्रासदी (1984) के पीड़ितों को 470 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया।
    - न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 142 के तहत उसकी शक्तियां उसे मौजूदा कानूनों की सीमाओं से परे उपचार प्रदान करने की अनुमति देती हैं।

संघ लोक सेवा आयोग के विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमाएं या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? (2019)

(a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(b) भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से बाध्य नहीं है।
(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
(d) राज्य विधानमंडल संघीय विधानमंडल की सहमति के बिना कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकते।

उत्तर: (**b**)

स्रोत: [द हिंदू: सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेना अधिकारी को स्थायी कमीशन दिया]

समाचार संक्षेप में

आईएनएस तुशिल

- **समाचार?:** नवीनतम बहुउद्देश्यीय स्टील्थ-निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट**,** आईएनएस तुशिल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
- **इसके बारे में:**
  - क्रिवाक III वर्ग (परियोजना 1135.6) का हिस्सा।
    - क्रिवाक III फ्रिगेट्स की श्रृंखला में 7वां(3 तलवार श्रेणी के फ्रिगेट्स और 3 टेग श्रेणी के जहाज)।
    - रूस के कलिनिन्ग्राद स्थित यन्तर शिपयार्ड में निर्मित।
    - **30 नॉट** से अधिक की गति
    - यह भारतीय नौसेना की '**स्वोर्ड आर्म**', पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत पश्चिमी बेड़े में शामिल हो जाएगा।

स्रोत: द हिंदू: फ्रिगेट आईएनएस तुशील को रूस के कलिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया

एंटीमैटर क्या है?

- एंटीमैटर को सामान्य पदार्थ में संबंधित कणों के एंटीपार्टिकल से युक्त पदार्थ के रूप में कहा जाता है।
- **उपपरमाण्विक प्रतिकण या सबएटॉमिक एंटीपार्टिकल**: प्रत्येक ज्ञात सबएटॉमिक एंटीपार्टिकल(जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन) के लिए समान द्रव्यमान लेकिन विपरीत आवेश और अन्य क्वांटम गुणों वाला एक एंटीपार्टिकल मौजूद होता है।
- **उदाहरण:**
  - इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल पॉज़िट्रॉन होता है, जो धनात्मक आवेश रखता है।
  - प्रोटॉन का एंटीपार्टिकल, प्रतिप्रोटॉन होता है, जो ऋणात्मक आवेश रखता है।
- **विनाश:** जब एक कण और उसके एंटीपार्टिकल मिलते हैं, तो वे एक दूसरे का विनाश करते हैं, तथा फोटॉन (प्रकाश) के रूप में ऊर्जा का विस्फोट छोड़ते हैं।

एंटीमैटर और एंटीपार्टिकल्स के बीच मुख्य अंतर यह है कि **एंटीमैटर एंटीपार्टिकल्स से बना एक पदार्थ है**:
• **एंटीमैटर**
एंटीपार्टिकल से बना एक पदार्थ जिसका द्रव्यमान सामान्य पदार्थ के कणों के समान होता है, लेकिन विद्युत आवेश और चुंबकीय गति विपरीत होती हैं।
• **एंटीपार्टिकल**
एक एंटीपार्टिकल जिसका द्रव्यमान दूसरे कण के समान होता है, लेकिन उसका विद्युत आवेश और चुंबकीय गति विपरीत होती है।

स्रोत: द हिंदू: एंटीमैटर का विचार वैज्ञानिकों को ब्रह्मांडीय रहस्य सुलझाने का सुराग देता है

संपादकीय सारांश

ऊर्जा-निर्भर विश्व में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा

संदर्भ

- जलवायु और विकास पर विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट खाद्य असुरक्षा और ऊर्जा गरीबी के बीच महत्वपूर्ण अंतर्संबंध पर जोर देती है।
- रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि वैश्विक स्थिरता प्राप्त करने के लिए इन परस्पर जुड़े संकटों का समाधान करना आवश्यक है।

परस्पर संबंधित संकट: खाद्य एवं ऊर्जा

- **प्रणालियों पर दबाव**:
    - खाद्य उत्पादन को जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और असमानता से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
    - ऊर्जा प्रणालियाँ भू-राजनीतिक तनाव, पुराने बुनियादी ढांचे और जीवाश्म ईंधन से धीमी गति से संक्रमण से जूझ रही हैं।
- **कृषि की दोहरी भूमिका**:
    - कृषि एक प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता होने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैसों का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक भी है, जो उत्सर्जन में 20% से अधिक का योगदान देता है।
    - वैश्विक मीठे जल संसाधनों का लगभग 70% भाग कृषि द्वारा उपभोग किया जाता है।
    - मशीनीकरण, सिंचाई, उर्वरक उत्पादन और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता क्षरण का एक दुष्चक्र बनाती है।
    - **खाद्य बनाम ऊर्जा आवश्यकताएं:** कृषि से जैव ईंधन उत्पादन को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे भूमि और जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा होगी।
        - ऐसे विश्व में जहां 12% लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, भोजन की अपेक्षा ऊर्जा को प्राथमिकता देना नैतिक चिंताएं उत्पन्न करता है।
    - **वित्तीय आवश्यकताएँ**:
        - कमजोर आबादी की बुनियादी कैलोरी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष 90 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।
        - महिलाओं और बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 11 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
        - खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन पर प्रतिवर्ष 300-400 बिलियन डॉलर (वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5%) खर्च हो सकता है।
        - निम्न आय वाले देशों के लिए, खाद्य असुरक्षा की लागत सकल घरेलू उत्पाद के 95% से अधिक हो सकती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियाँ**:
    - 2022 में नई नवीकरणीय क्षमता में उच्च आय वाले देशों की हिस्सेदारी 83% थी।
    - कम आय वाले देश कार्बन-सघन प्रणालियों पर निर्भर रहते हैं।
    - सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई और बायोमास ऊर्जा जैसे नवाचार आशाजनक हैं लेकिन उच्च लागत और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बाधित होते हैं।

कार्बन-गहन ऊर्जा पर निर्भरता

- **खाद्य प्रणालियों की भेद्यता**:

  - जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से कृषि को ऊर्जा मूल्य झटकों का सामना करना पड़ता है।
  - 2.5 अरब लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है।
  - 2020 और 2023 के बीच, वैश्विक आबादी के 11.8% लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा, जिसके 2028 तक बढ़कर 956 मिलियन होने का अनुमान है।
- **ऊर्जा निवेश**:
  - 2022 में, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया , लेकिन आर्थिक और भू-राजनीतिक दबावों के कारण जीवाश्म ईंधन की खपत बनी हुई है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे देश तेल और गैस उत्पादन का विस्तार जारी रख रहे हैं।
- **वैश्विक असमानताएँ**:
  - निम्न आय वाले देश, अत्यधिक मौसम के कारण ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान और बुनियादी ढांचे की क्षति से असमान रूप से पीड़ित हैं।
  - उप-सहारा अफ्रीका में, 2021 में उर्वरक आयात पर 1.9 बिलियन डॉलर खर्च करने (2016 से दोगुना) के बावजूद प्रति हेक्टेयर उर्वरक का उपयोग कम बना हुआ है।
- **प्राकृतिक गैस की कीमतों का प्रभाव**:
  - 80% प्राकृतिक गैस का उपयोग अमोनिया संश्लेषण (उर्वरक) के लिए किया जाता है, तथा 20% प्रक्रिया को शक्ति प्रदान करता है।
  - मूल्य अस्थिरता वैश्विक खाद्य लागत को प्रभावित करती है।
  - चीन के 2021 में फॉस्फेट उर्वरक निर्यात पर प्रतिबंध के कारण भारत जैसे देशों के लिए देरी हुई, जो अपने डीएपी उर्वरकों का 60% आयात करता है।

निष्क्रियता के परिणाम

- **आर्थिक और सामाजिक लागत**: खाद्य असुरक्षा के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को उत्पादकता में कमी और खराब स्वास्थ्य परिणामों के रूप में खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।
  - जलवायु-प्रेरित ऊर्जा व्यवधान क्षेत्रीय अस्थिरता, सामाजिक अशांति और बड़े पैमाने पर पलायन को जन्म दे सकते हैं।
- **अफ्रीका का संसाधन विरोधाभास**: नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अफ्रीका की खनिज संपदा आवश्यक होने के बावजूद, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर लाभ नहीं मिलता, जिससे गरीबी बनी रहती है।

समावेशी समाधान की आवश्यकता

- **त्वरित कार्यवाही**:
  - नवीकरणीय ऊर्जा में रिकॉर्ड निवेश के बावजूद जीवाश्म ईंधन का उपयोग जारी है।
  - विलंब से मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक लागत बढ़ जाती है ।
  - स्वच्छ ऊर्जा को कमजोर समुदायों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना होगा।
- **कृषि की पुनर्कल्पना**:
  - जीविका और सतत विकास के चालक के रूप में देखा जाना चाहिए ।
  - कार्रवाई में विफलता से भुखमरी बढ़ने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के पटरी से उतरने का खतरा है।

स्रोत: द हिंदू: ऊर्जा-निर्भर दुनिया में खाद्य सुरक्षा का मुद्दा

भारतीयों को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार चाहिए

संदर्भ

कार्यस्थल पर तनाव का मुद्दा और डिस्कनेक्ट करने के अधिकार की मांग दुखद घटनाओं और लंबे समय तक काम करने के आंकड़ों के सामने आने के बाद ध्यान आकर्षित कर रही है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी

- सितंबर में EY के एक कर्मचारी की कथित रूप से काम के दबाव के कारण हुई मौत ने चिंता पैदा कर दी।
- विरोधियों ने घोषणा की कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे तथा "कार्यस्थल पर अमानवीयता" की निंदा करेंगे।

तथ्य

- **अधिक काम के स्वास्थ्य जोखिम**: लंबे समय तक काम करने से तनाव और कोरोनरी हृदय रोग होता है (हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार)।
    - फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ बेनोइट हैमोन ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला कि कर्मचारी कार्यालय से निकलने के बाद भी टेक्स्ट, संदेश और ईमेल के माध्यम से अपने काम में लगे रहते हैं , जिससे मानसिक थकान होती है।
- **अधिक काम करने से उत्पादकता कम हो जाती है:** ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और बीटी के अध्ययन में कर्मचारी की खुशी और उत्पादकता के बीच सीधा संबंध पाया गया।

कार्यस्थल पर तनाव और अमानवीय कार्य स्थितियां

- **प्रभावित महिला पेशेवर:** द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार, ऑडिटिंग, आईटी और मीडिया जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाएं अक्सर सप्ताह में 55 घंटे से अधिक काम करती हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 49% भारतीय श्रमिकों का कहना है कि कार्यस्थल पर तनाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

अन्य देशों में डिस्कनेक्ट करने के अधिकार से संबंधित कानून

कई देशों ने काम के घंटों के बाहर कर्मचारियों के डिस्कनेक्ट करने के अधिकार की रक्षा के लिए कानून लागू किए हैं:

- **फ्रांस**: **फ्रांसीसी सुप्रीम कोर्ट के श्रम चैंबर (2001) ने** फैसला दिया कि कर्मचारियों को घर से काम करने या काम के घंटों के बाद उपलब्ध रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
    - कोर्ट डी कैसेशन ने माना कि कार्य समय के अलावा अन्य समय में संपर्क में न आना कदाचार नहीं माना जाता।
- **पुर्तगाल**: आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, नियोक्ताओं द्वारा काम के घंटों के बाहर कर्मचारियों से संपर्क करना अवैध है।
- **स्पेन**: ऑर्गेनिक कानून 3/2018 का अनुच्छेद 88 कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक गोपनीयता की रक्षा करने और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है।
- **ऑस्ट्रेलिया**: निष्पक्ष कार्य विधान संशोधन (2023) कर्मचारियों को कार्य समय के बाहर कनेक्शन काटने का अधिकार देता है।
- **आयरलैंड**: कर्मचारियों के लिए डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई

भारत का कानूनी ढांचा और वर्तमान स्थिति

भारत में अभी तक डिस्कनेक्ट करने के अधिकार पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन मौजूदा संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांत कार्यस्थल पर सम्मान और कल्याण को संबोधित करते हैं:

- **संवैधानिक प्रावधान**:
  - **अनुच्छेद 38**: राज्य को जनता के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।
  - **अनुच्छेद 39(e):** नीतियों को श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति को सुरक्षित रखना चाहिए।
- **न्यायिक मिसालें**:
  - **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):** कार्यस्थल पर सम्मान के अधिकार को मान्यता दी गई और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
  - **रविन्द्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ(2021)**: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी समानता और उचित आवास पर जोर दिया गया।
  - **प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य (2012):** वरिष्ठों द्वारा कर्मचारियों के सार्वजनिक अपमान और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ फैसला सुनाया गया।
- **विधायी प्रयास**
  - **सुप्रिया सुले का निजी सदस्य विधेयक (2018)**:
    - कार्य समय के बाद कनेक्शन काटने का अधिकार प्रस्तावित किया गया।
    - गैर-अनुपालन के लिए सभी कर्मचारियों के कुल पारिश्रमिक का 1% जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

- 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। डिस्कनेक्ट करने के अधिकार को पहचानना महत्वपूर्ण है:
  - कर्मचारी कल्याण
  - उत्पादकता में वृद्धि
  - संतुलित आर्थिक विकास
- नियोक्ताओं को स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार करना चाहिए तथा कार्य-जीवन संतुलन को समर्थन देना चाहिए।

स्रोत: [द हिंदू: भारतीयों को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार चाहिए]